अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2009

(आय-कर)

का.आ. 2481 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देता है कि नीचे अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी के अधीनस्थ होंगे ।

अनुसूची

क्रम सं.	आय-कर प्राधिकारी का पदनाम	आय-कर प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य आयुक्त (केन्द्रीकृत कार्यान्वयन केन्द्र) बेंगलुरु	आय-कर आयुक्त (केन्द्रीकृत कार्यान्वयन केन्द्र) बेंगलुरु ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 73/2009/फा.सं. 142/18/2009-टीपीएल]

विजय कुमार जायसवाल, अवर सचिव